छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00181

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री आशुतोष खलखो एवं अन्य 2

प्रोजेक्ट– कमल विहार, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/10/2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा रेरा में स्वयं का एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराए बिना, पुराने धमतरी रोड स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था। – इस संबंध में अनावेदकगण को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदकगण ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर पृथक–पृथक लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदकगण द्वारा प्रमुख रूप से कथन किया गया है कि उन्हें रेरा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण अनजाने में यह चूक हुई है। अनावेदकगण ने एजेंट रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने और भविष्य में रेरा अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करने का कथन करते हुए सद्भाविक त्रुटि के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया है। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा एजेंट रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें दिनाँक 07.09.2018 को एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जा चुका है। प्रकरण की परिस्थितियों से आवेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक परिलक्षित होती है। अनावेदकगण द्वारा प्राधिकरण से स्वयं का रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त किया जा चुका है। अतः अनावेदकगण को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।	26/10

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00181

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री आशुतोष खलखो एवं अन्य 2

प्रोजेक्ट– कमल विहार, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर	– प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	26/10